... पेश हुई/वकील वादी/[redacted]
... अधिकारी कुमार/अन्य कार्य
20/7/22 मैं व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक...28/9/22 ...को पेश हो

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/[redacted]
... अधीन अधिकारी कुमार/अन्य कार्य
28/9/22 मैं व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक...18/10/22.... ...को पेश हो

पत्रावली पेश हुई ... अधिकारी ... कार्य
मैं व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
18/10/22 दिनांक...19/10/22 ...को पेश हो

19/10/22

पत्रावली पेश हुई क्योंकि [illegible] ... 11 व 12 की [illegible] में [illegible] कार्यवाही [illegible] के [illegible]। [illegible] कार्यवाही [illegible] में [illegible] पत्रावली वास्ते T.I. [illegible] दि. 10/11/22 को पेश हो

10/11/22

पत्रावली पेश हुई क्योंकि [illegible] ...। पत्रावली पूर्व [illegible] दि. 16/11/22 को पेश हो

... पेश हुई/वकील वादी ...
... कार्य
16/11/22 ... पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक...19/12/22...को पेश हो

19/12/22 पत्रावली पेश हुई क्योंकि [illegible] ... पत्रावली वास्ते [illegible] दि. 28/12/22 को पेश हो

सहायक कलक्टर (द्वितीय)

28/12/22 पत्रावली पेश हुई क्योंकि [illegible] आदेश ... 212 का [illegible] ... पत्रावली। पत्रावली [illegible] ... जाये।

न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय, सीकर

पीठासीन अधिकारी– मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

प्रा.प. संख्या 45/2017

गांगा पुत्र नारायण जाति जाट निवासी सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर राज0

– प्रार्थीगण –

बनाम

1.	किशनाराम	पुत्रगण नारायणराम	समस्त जाति जाट निवासी सिहोट छोटी त0 धोद जिला सीकर
2.	भेभाराम		
3.	बोदूराम		
4.	भंवरलाल		
5.	मनोहरी देवी पत्नि श्री लालाराम		
6.	हरदेवाराम	पुत्रगण हरबक्साराम	
7.	लिछमणराम		
8.	रतनलाल		
9.	गणेशाराम		

10. कमला देवी पत्नि बाबूलाल जाति मेघवंशी निवासी सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर
11. पटवारी हल्का सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर।
12. उप पंजियक महोदय धोद जिला सीकर।
13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोद बहैसियत भूमिधारी।

– अप्रार्थीगण –

<u>आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनयिम</u>

उपस्थित वकील प्रार्थीगण – श्री सागरमल धायल

वकील अप्रार्थीगण – श्री राजेश चौधरी अप्रार्थी सं0 1 ता 5
श्री गणपत लाल अप्रार्थी सं0 6 ता 9
श्री राजेश बेरवाल अप्रार्थी सं0 10

निर्णय

दिनांक –

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट का मय वाद के प्रस्तुत किया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

ग्राम सिहोट छोटी तहसील धोद व जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खाता संख्या 36 के ख0 न0 610 रकबा 3.18 है0 व ख0न0 615 रकबा 7.25 है0। ख0न0 610 रकबा 3.18 है0 का गत ख0न0 414/1 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा व ख0न0 615 रकवा 7.25 है0 के गत ख0न0 413 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, ख0न0 417 रकबा 1 बिस्वा एंव 418 रकबा 26 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा है । वर्णित आराजियात का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है मौके पर द्वितीय सैटलमेंट से पूर्व नक्सा ट्रेस व पुराने रकबे के अनुसार कादिज काश्त चला आ रहा है। आराजी ख0न0 616 रकबा 1.75 है0 के गत ख0न0 419 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा है जिनके खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 है जिन्होने ख0न0 616 में से 0.1124 है0 का विक्रय पत्र गोरूराम पुत्र सुरजाराम व 0.2248 हैक्टर का महेन्द्र सिंह पुत्र सुरजाराम जाति निवासी सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दी व खातेदारी जरिये नामान्तकरण संख्या 1168 दिनांक 20.03.2017 को उनके हक में खातेदारी अंकित हो चुकी। उक्त भमि गोरूराम व महेन्द्र सिंह ने उपरोक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.05.2017 को अप्रार्थी संख्या 5 मनोहरी देवी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दी। गत ख0न0 414/2 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 9 के हक में दर्ज है। ख0न0 611 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 10 कमला देवी के हक में दर्ज है। उक्त वर्णित वर्तमान आराजी ख0न0 615 गत ख0न0 413, 417, 18 से बना है व वर्तमान आराजी ख0न0 616 गत ख0न0 419 से बना हैं तथा वर्तमान ख0न0 609 गत खसरा नम्बर 414/2 से बना है। लेकिन द्वितीय पैमाइस से सैटलमेंट कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती अथवा अप्रार्थीगण के सहयोग से प्रार्थी के वर्तमान ख0न0 615 का रकबा 0.43 है0 कम कर दिया व वर्तमान ख0न0 616 का 0.34 है0 रकबा बढा दिया गया । कुल रकबा 0.40 है0 भूमि प्रार्थी की कम दर्ज कर दी एंव अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के खाते में गत रकबा से ज्यादा रकबा अंकित कर दिया । अप्रार्थीगण ने एंलानियां धमकी दी कि आंयदा मौका मिलने पर सींव नीव तोड़कर जबरन कब्जा करके ही रहेगे। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । जिस पर अप्रार्थी सं0 1 ता 5 की ओर वकील श्री राजेश चौधरी, अप्रार्थी सं0 6 ता 9 की ओर से वकील गणपत लाल व अप्रार्थी संख्या 10 की ओर राजेश बेरवाल उपस्थित। 11 ता 13 की बावजूद विधिवत तामिल के उपस्थित नहीं रहे। इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

वकील अप्रार्थी सं0 6 ता 9 की ओर से जवाब आवेदन पेश किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा जो आवेदन पेश किया है व गलत मनगढत, निराधार आधारों पर पंश किया गया है। प्रार्थी ने कथन किया है कि नये सेटलमेंट के दौरान खसरा नं0 609 का रकबा बढा दिया गया है और प्रार्थी का रकबा कम कर दिया गया है इस कारण जवाबदाता के खेत खसरा नं0 609 में से 0.06 है0 भूमि की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज की जाकर नक्शा ट्रेश में संशोधन किया जावे। जवाबदाता की भूमि खसरा नं0 609 रकबा 3.00 है0 जिनके पुराने खसरा नं0 414/2 रकबा 12 बिघा 15 बिस्वा की कुल जमीन 3.18 है0 होती है। जबकि नये सेटलमेंट के दौरान पुराने खसरा नं0 414/2 का नया खसरा नं0 609 बने है और उसका रकबा 3.00 है0 दर्ज किया गया है जबकि गणितीय जोड से रकबा 3.18 है0 दर्ज होना चाहिए था। इस कारण प्रार्थी जवाबदाता की खातेदारी की भूमि में से किसी प्रकार की भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रकरण में बहस वकील उभयपक्ष सूनी गई जो मुताबिक आवेदन रही। हमने बहस पर बगौर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन में कथन किया है कि सैटलमेट के दौरान प्रार्थी के हिस्से कि भूमि में से 0.40 है0 भूमि कम दर्ज कि गयी है। जबकि जवाबदाता ने कथन किया कि खसरा नं0 609 में 0.18 है0 रकबा जवाबदाता के हिस्से का कम कर दिया गया। उक्त कथनों का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य के आधार गुणावगुण पर किया जाना है। पक्षकारान के मध्य वाद बहुलता को देखते हुये प्रकरण में उभयपक्षकारान का मूल वाद के निस्तारण तक विवादित आराजी खसरा नं0 610, 616, व 609 वाके ग्राम सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर में राजस्व रिकार्ड यथास्थिति बनायें रखने हेतु पाबन्द किया जाता है।

(मुनेश कुमारी)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

सहायक कलक्टर सीकर